कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।

क्रमांक– आदेश/2021/19 दिनांक–31.03.2021

--:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत आंशिक संशोधित कार्यालय–आदेश ::--

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–14 सपठित धारा–15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं सरिता धाकड, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24.04.2021 चतुर्थ शनिवार का कार्य दिवस घोषित किये जाने एवं दिनांक 25.04.2021 को संबंधित पीठासीन अधिकारी के उपार्जित अवकाश पर होने के फलस्वरूप माह अप्रेल 2021 में रिमाण्ड डयूटी बाबत् पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30.03.2021 में आंशिक संशोधन करते हुये करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवायी हेतु सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या मुख्यालय पर नहीं होने की स्थिति में कॉलम संख्या–4 में अंकित दिनांक के लिए कॉलम संख्या–2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:–

माह अप्रेल 2021

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01.	02.	03.	04
1	श्री मुकेश कुमार सांवरिया RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी	25.04.2021

नोट– उक्तांकित दिनांक की रिमाण्ड डयूटी के अलावा इस कार्यालय का पूर्व आदेश कमांक 18 दिनांक 30.03.2021 यथावत रहेगा।

निर्देशः–

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
4. अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बंधित उक्त कार्यकरेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

क्रमांक– 355 दिनांकः– 31/03/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली ।
2.श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3.संबंधित अधिकारी सर्व श्री..
4.अध्यक्ष, बार एसोसिएसन न्यायालय परिसर, करौली ।
5.सिस्टम आफीसर जिला न्यायालय करौली सभी पीठासीन अधिकारीयों एवं न्यायालयों को मेल करे तथा जिला न्यायालय करौली की वेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।
6.प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।
7.आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली